

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक-ए जनपथ जयपुर-302005

(दूरभाष 0141.2740837ए फैक्स 0141.2742309ए ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक.: प.4(ई)(1)(6) / (आर-392 / 2023) / अलेसे-III / 8541

दिनांक:- 21/10/25

कार्यालय आदेश

श्रीमती रेणु कासोटिया, कनिष्ठ लेखाकार रोल नं. 752347 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के द्वारा मातृत्व अवकाश (गर्भपात के कारण) के उपभोग की स्वीकृति चाहने हेतु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान सेवा नियम, खण्ड-1 के नियम-103 के अनुसरण में श्रीमती रेणु कासोटिया, कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 08.09.2025 से 05.10.2025 तक (कुल 28 दिवस) का मातृत्व अवकाश (गर्भपात के कारण) का उपभोग करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

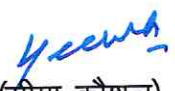
उक्त स्वीकृत अवकाश का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लाल स्याही से कर दिया जावे।


(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 21/10/25

क्रमांक.: प.4(ई)(1)(6) / (आर-392 / 2023) / अलेसे-III / 8541
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, ह.च.मा. रिपा जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्रीमती रेणु कासोटिया, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-752347) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज. श्रम विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)